

क्रमांक	ब्लॉक नं.	प्लॉट नं.	रकबा वर्गफुट में	भवन स्वामी का नाम	राशि
1	7	139/2, 140/3	121	सतोष कुमार अग्रवाल ओमप्रकाश पिता स्व. बडीप्रसाद नि. 1278 तमरहाई	56816
2	7	139/3, 140/1	321	ओमप्रकाश सतोष पिता स्व. बडीप्रसाद अग्रवाल नि. 1278 तमरहाई	86028
3	7	140/2	233	ओमप्रकाश पिता बडीप्रसाद नि. 498 कोतवाली	62444
4	7	139/4	200	दिलीप कुमार चौहान पिता स्व. दुर्गाप्रसाद नि. गोहलपुर	53600
5	7	139/1	210	राजेश कुमार दीपक कुमार सुरेश कुमार मुकेश पिता जगदीश प्र.नि. 338 साहि	56280
6	7	143	630	हीरालाल वल्ड खुन्नलाल वानी सा. तमरहाई	168840
7	7	135/2, 141, 142	480	संतोश कुमार ओमप्रकाश अशोक पिता स्व. बडीप्रसाद सा. तमरहाई जबलपुर	128640
8	7	146/1	185	अनिल कुमार वल्ड विश्वनाथ ब्रा. मु. वागेश्वरी वेवा विश्वनाथ ब्रा. साहू सा. तमरहाई	49580
9	7	146/3, 147/1	1515	रमेशचंद सुरेशचंद नरसिंह दास महेशचंद अशोक वल्ड गौरीदास अग्रवाल सा. तमरहाई	406020
10	7	146/4	90	देवकीनंदन नंदकुमार जुगल किशोर रघुनंदन घनश्याम रविशंकर वल्ड नर्मदा प्रसाद मु. कृष्णाबाई वेवा नर्मदा प्रसाद साहू सा. तमरहाई	24120
11	7	146/5	275	अनिल कुमार वल्ड विश्वनाथ प्रसाद मु. जागेश्वरी देवी वेवा विश्वनाथ प्रसाद मु. जागेश्वरी देवी वेवा विश्वनाथ साहू सा. तमरहाई	73700
12	7	146/6	320	देवकीनंदन नंदकुमार जुगल किशोर रघुनंदन घनश्याम रविशंकर वल्ड नर्मदा प्रसाद मु. कृष्णाबाई वेवा नर्मदा प्रसाद साहू सा. तमरहाई	85760
13	7	149/1, 150/1	750	सुधारानी पत्नि रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल	201000

कोतवाली थानांतर्गत मानिक अग्रवाल रददी वाला मकान से पुराना रजग रसगुल्ला तक

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3823 प्रश्नशेखर 'बी'

परिधान 'अ'

14	7	150/2, 151	585	मु फूलचंद फूलचंद दुलैया बेवा रक्षाशीलाल मु गुलाबबाई लोभिमनलाल बानी सा कोतवाली	156780
15	7	153	400	रामनारायण पिता रव मनिकलाल अग्रवाल सा कोतवाली	107200
16	7	154/2	49	मु सहजबाई द्वारका प्रसाद अग्रवाल सा तमरहाई	12060
17	7	154/3	44	संतोष वालिंग सुरेश कुमार राकेश कुमार मुन्नालाल मुनीबाई नावा बल्द रणछोटे लाला बली भाई संतोष कुमार अग्रवाल सा तमरहाई	11792
18	7	155/3	223	श्रीमती निशा अग्रवाल पति रामनारायण नि. 642 कोतवाली वार्ड जवलपुर	59764

योग:-

18

1800424/-

टीप:- उपरोक्त गणित राशि अनुमानित है। खातेधारको द्वारा रजिस्ट्री विकया पत्र/वसीयत नामा/कौती नामांतरण आदि अपिलेशन उपलब्ध कराये जाने पर पूर्णतः गणना की जा सकेगी।

असहाय अधिकारी  
 (खतब/शाखा - ) विभाग  
 प० प० शासन

815/2021